कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री सिसकाम कारपोरेशन लिमिटेड, डी-216, सेक्टर-63, नोएडा ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**058 / 13, 11.11.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री एन0 के0 प्रुष्टि, जनरल मैनेजर ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री सिसकाम कारपोरेशन लिमिटेड, डी-216, सेक्टर-63, नोएडा द्वारा दिनांक 11.11.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' Finger Print Scanner '' पर कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री एन0 के0 प्रुष्टि, जनरल मैनेजर उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि Finger Print Scanner कम्प्यूटर पैरीफैरल्स के अन्तर्गत आता है । उनके द्वारा कहा गया कि Scanner HSN कोड संख्या-8471 00 00 के अन्तर्गत आते हैं । यह प्रविष्टि कम्प्यूटर पैरीफैरल्स से सम्बन्धित है । उनके द्वारा कहा गया कि Finger Print Scanner द्वारा फिंगर प्रिन्ट की इमेज स्कैन करके इसे डिजिटल फार्म में कम्प्यूटर में स्टोर किया जाता है । कम्प्यूटर के बिना इसका कोई प्रयोग सम्भव नहीं है । इस सम्बन्ध में उनके द्वारा Finger Print Scanner प्रस्तुत किया गया । इसे USB द्वारा कम्प्यूटर से जोड़कर फिंगर प्रिन्ट की डिजिटल इमेज कम्प्यूटर में स्टोर की जाती है ।

प्रार्थी द्वारा विक्कीपीडिया में दी गयी पैरीफैरल्स की परिभाषा की प्रति भी प्रस्तुत की गई । इस परिभाषा के अनुसार पैरीफैरल्स के अन्तर्गत Scanner सम्मिलित है । इस सम्बन्ध में विभिन्न डिक्शनरी में दी गयी परिभाएं भी प्रस्तुत की गयीं जो निम्न भॉति हैं :-

<u>The Major Law Lexicon P. Ramanatha Aivar 4th Edition 2010</u>

Computer Peripheral various electronic devices which are connected with the computer, but do not form part of the computer, like scanner, mouse, printer, Peripheral Any part of computer other than CPU or working memory (RAM and ROM). For example, disks, keyboards, monitors, mice, printers, scanners.

<u>Advanced Law Lexicon by Honorable Chief Justice (Retired) of Supreme Court-Mr. Y.V. Chandrachud</u>

Computer Peripheral-Various electronic devices which are connected with the computer, but do not form the part of the computer like scanner, mouse, printer (Information Technology).

<u>Oxford Dictionary of Computing-Fifth Edition</u>

Peripheral- Any device, including I/O devices and backing store, that is connected to a computer. The term originated in the mainframe era when all the computing was centralized and input / output

.....2

functions were attached around the periphery of the installation.

प्रार्थी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मेसर्स O.R.G. Systems vs. CCE 1998 (102) ELT 3 भी प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया है कि पैरीफैरल्स ऐसा डिवाइस है जिसमें कम्प्यूटर की मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी, एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि होती है । उपरोक्त के अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा निम्न निर्णय भी प्रस्तुत किये गये:-

S. No.	Particulars of Court Rulings
1	Hon'ble Supreme Court Judgement : State of Karnataka vs. Balaji Computers
2	Hon'ble Karnataka High Court Judgement : Great Eastern Impex Pvt. Ltd vs State of Karnataka
3	Hon'ble Delhi High Court Judgement : Canon India P. Limited v Value Added Tax Officer and Another / infres Methodex Ltd. v. Value Added Tax Officer and Others
4	Hon'ble Karnataka High Court Judgement : Diebold Systems Pvt. Ltd vs. The Commissioner of Commercial Taxes
5	Order No. C3 / 23539 / 11 / CT under KVAT ACT, 2003 against Clarification u/s 94-Rate of tax of Multimedia Speaker, Scanner, MP3 Player, Web Camera, Sound Card and DVD Writer
6	Hon'ble Delhi High Court Judgement : Commissioner of Income Tax vs. BSES Rajdhani Powers Ltd.
7	ITAT Judgement : A.C.I.T., Circle 12 (1), New Delhi vs. M/s. HCL Comnet Ltd., New Delhi
8	Hon'ble Supreme Court Judgement : M/s. Reckitt Benckiser (india) Ltd. vs. Commissioner, Commercial Taxes & Ors.
9	Hon'ble Supreme Court Judgement : Common Causea Registered Society vs. Union of India & Ors.
10	Hon'ble Supreme Court Judgement : Puma Ayurvedic Herbal (P) Ltd. vs. CCE Nogpas 2006

प्रार्थी द्वारा यह भी कहा गया कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एण्ड इनफारमेशन टेक्नोलाजी के गजट नोटिफिकेशन नम्बर-1975, दिनांक 03.10.2012 द्वारा विज्ञापित शिड्यूल के क्रमांक-08 पर Scanner अंकित है और इसके सन्दर्भ में जारी परिपत्र दिनांक 29.05.2013 एवं 12.09.2013 में Finger Print

Scanner को भी Scanner की श्रेणी में माना गया है।

प्रार्थी द्वारा यह भी कहा गया कि Finger Print Scanner केवल कम्प्यूटर सिस्टम के साथ प्रयोग किये जा सकते हैं और इनका प्रयोग कम्प्यूटर के पैरीफैरल्स के रूप में होता है। इसके द्वारा फिंगर प्रिन्ट इमेज को आप्टिकल रीडर के माध्यम से रिकार्ड करके कम्प्यूटर सिस्टम में डिजिटल फार्म में USB कनेक्टर के माध्यम से भेजा जाता है जिससे बायोमैट्रिक डाटाबेस तैयार किया जा सके। इस Scanner का कम्प्यूटर सिस्टम के अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से कोई प्रयोग नहीं हो सकता। इसके माध्यम से कम्प्यूटर सिस्टम की उपयोगिता फिंगर प्रिन्ट इमेज के स्टोर करने एवं उसे रीड करने की दृष्टि से बढ़ती है। Scanner में कोई अलग से बटन नहीं होता है और यह केवल कम्प्यूटर की उपयोगिता को बढ़ाता है। इसके बिना कम्प्यूटर फिंगर प्रिन्ट इमेज को रीड नहीं कर सकता। और अन्त में उनके द्वारा कहा गया कि आप्टिकल फिंगर प्रिन्ट स्कैनर कम्प्यूटर पैरीफैरल्स हैं तथा इसे उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-22 के अन्तर्गत करदेयता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, गौतम बुद्ध नगर सम्भाग-बी, नोएडा के पत्र संख्या-991, दिनांक 11.12.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि फिंगर प्रिन्ट स्कैनर कम्प्यूटर की क्षमता को प्रभावित करने, बढ़ाने या अधिक उपयोगी बनाने में सहायक नहीं है। क्योंकि इसके होने या न होने से कम्प्यूटर की क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विक्कीपीडिया की परिभाषा के अनुसार पैरीफैरल्स का प्रयोग होस्ट कम्प्यूटर की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। आख्या में यह भी कहा गया कि फिंगर प्रिन्ट स्कैनर को HSN कोड में कहीं भी क्रमांकित नहीं किया गया है। यदि सभी प्रकार के स्कैनर को एक ही दर से करदेय करने की मंशा विधायिका की होती तो चिकित्सीय स्कैनर को उससे अलग नहीं किया जाता। यह भी कहा गया कि व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में मेसर्स Great Eastern Impex Pvt. Ltd के वाद में दिये गये निर्णय तथा अन्य निर्णयों का जो उल्लेख किया गया है वह बारकोड प्रिन्टर तथा स्कैनर से सम्बन्धित हैं। फिंगर प्रिन्ट स्कैनर से सम्बन्धित नहीं हैं। यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में उपयोगिता के आधार पर करदेयता निर्धारित करने के निर्णय दिये गये हैं। उपयोगिता के आधार पर फिंगर प्रिन्ट स्कैनर कम्प्यूटर पैरीफैरल्स के अन्तर्गत नहीं आता है। यह भी कहा गया कि यह न तो कम्प्यूटर का इनपुट है और न ही आउटपुट डिवाइस है। अत: इसे अवर्गीकृत निर्धारित करने का अनुरोध किया गया।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आप्टिकल फिंगर प्रिन्ट स्कैनर में एक आप्टिकल रीडर है जो USB से कम्प्यूटर में जोड़ा जाता है। इस आप्टिकल फिंगर प्रिन्ट रीडर से फिंगर प्रिन्ट का डाटा लेकर डिजिटल फार्म में कम्प्यूटर में स्टोर किया जाता है। कोई भी सामान्य कम्प्यूटर स्कैनर इमेज को स्कैन करके डिजिटल इमेज कम्प्यूटर में भेजता है एवं आप्टिकस के प्रयोग से इमेज स्कैन करने का कार्य करता है। इस प्रकार आप्टिकल फिंगर प्रिन्ट स्कैनर भी एक प्रकार का स्कैनर है। आल

....4

<u>सर्वश्री सिसकाम कारपोरेशन लिमिटेड/ प्रा0 पत्र सं0-058 / 13 / धारा-59 / पृष्ठ-4</u>

इण्डिया आई टी डीलर एसोसियेशन के प्रार्थना-पत्र दिनांक 08.07.2011 में पारित कामर्शियल टैक्स, केरला के धारा-59 (4) के निर्णय दिनांक 09.01.2012 की प्रति प्रार्थी द्वारा दाखिल की गयी है। इसमें यह निर्णय दिया गया है कि मेडिकल स्कैनर के अतिरिक्त अन्य स्कैनर जो इमेज को आप्टिकली स्कैन करके डिजिटल इमेज में परिवर्तित करते हैं तथा कम्प्यूटर के साथ प्रयोग किये जाते हैं कम्प्यूटर पैरीफैरल्स के अन्तर्गत आयेंगे। प्रार्थी ने हाईकोर्ट, नई दिल्ली का एक निर्णय Commissioner of Income Tax vs. BSES Rajdhani Powers Ltd. के वाद में प्रस्तुत किया है जिसमें आयकर के उद्देश्य से प्रिन्टर एवं स्कैनर को कम्प्यूटर सिस्टम का इन्टीगरल पार्ट माना गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त निर्णय एवं परिभाषाएं यह स्पष्ट करती हैं कि स्कैनर कम्प्यूटर के पैरीफैरल्स की श्रेणी में आते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आप्टिकल फिंगर प्रिन्ट स्कैनर, फिंगर प्रिन्ट की इमेज को डिजिटल फार्म में कम्प्यूटर में भेजता है इससे कम्प्यूटर की बायोमैट्रिक्स को रीड करने एवं स्टोर करने की क्षमता में वृद्धि होती है। तथा इस स्कैनर का प्रयोग बिना कम्प्यूटर के स्वतन्त्र रूप से नहीं किया जा सकता है। अत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आप्टिकल फिंगर प्रिन्ट स्कैनर को कम्प्यूटर पैरीफैरल्स की श्रेणी में आना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी के क्रमांक-22 की निम्न प्रविष्टि के अन्तर्गत करयोग्य होना चाहिए :-

Computer system and peripherals, Electronic Diaries.

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, गौतम बुद्ध नगर सम्भाग-बी, नोएडा द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आप्टिकल फिंगर प्रिन्ट स्कैनर का कार्य फिंगर प्रिन्ट की इमेज को स्कैन करके डिजिटल फार्म में कम्प्यूटर में भेजना है। इसका प्रयोग कम्प्यूटर के अतिरिक्त अन्य कहीं भी स्वतन्त्र रूप से नहीं हो सकता है। अत: यह कम्प्यूटर पैरीफैरल्स की श्रेणी में आता है इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-22 के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 22 जनवरी, 2014 ह0 / 22.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।